पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 मधेपुरा (मंडल कारा)–13/2013–   पटना–15, दि0–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू–अर्जन निदेशालय) बिहार,पटना।

अधिसूचना

पत्रांक.......–1152......./रा0,दिनांक....–25–04–13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–साहूगढ़, चादर नं0 06, थाना नं0–60 थाना–मधेपुरा अंचल–मधेपुरा जिला–मधेपुरा** में **मंडल कारा, मधेपुरा के निर्माण** हेतु अधियाची विभाग के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए **मौजा–साहूगढ़, चादर नं0–06, थाना नं0–60 थाना–मधेपुरा अंचल–मधेपुरा जिला–मधेपुरा** में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश **10.40 एकड़** के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नप्रकार है–

मौजा–साहूगढ़, चादर नं0 06, थाना नं0–60

खेसरा संख्याँ– 13087 अंश, 13088 अंश, 13089, 13090, 13091, 13092, 13093, 13094, 13095, 13096, 13097, 13098 अंश, 13099 अंश, 13100 अंश, 13101 अंश, 13102 अंश, 13103, 13104, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111 अंश, 13112 अंश, 13113 अंश, 13115 अंश, 13116 अंश, 13309 अंश, 13310 अंश, 13313 अंश, 13314, 13315, 13316 अंश, 13317 अंश, 13318 अंश एवं 13330 अंश।

प्रस्तावित भू–खण्ड की चौहद्दी

उत्तरः– खेसरा नं0–13087 अंश, 13088 अंश, 13111 अंश, 13112 अंश, 13113 अंश, 13115 अंश एवं 13116 अंश।

दक्षिणः– खेसरा नं0–13330 अंश एवं नगर परिषद् वार्ड नं0–01, थाना नं0–61.

पूरबः– नगर परिषद् वार्ड नं0–01, थाना नं0–61, चादन नं0–04.

पश्चिमः–खेसरा नं0– 13316 अंश, 13102 अंश, 13101 अंश, 13100 अंश, 13099 अंश, 13098 अंश, 13309 अंश, 13310 अंश, 13313 अंश, 13316 अंश, 13317 अंश, 13318 अंश एवं 13330 अंश।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित 1984) की धारा 04 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध हों।

प्रस्तावित भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के प्रारंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे अधियाची विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्राधिकृत करती है कि भूमि पर प्रवेश कर उनका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 04 की उप धारा (2) में यथा उपबंधित तथ्य विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगें।

चुँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 04 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा — अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा — समाहर्त्ता, मधेपुरा

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1152 /रा0,दिनांक– 25–04–13

प्रतिलिपि:– (1) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को अधिसूचना के तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना का प्रेस कतरण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,मधेपुरा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(2) प्रभारी पदाधिकारी,जिला बजट मधेपुरा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस–दस अतिरिक्त प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(3) आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) अधियाची पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/4/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।